

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

[केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 8/2019 केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 8 फ़रवरी, 2019

सा. का. नि.(अ) - आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जनवरी, 2019 के माह के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-7 में, विवरणी की समय-सीमा का विस्तार फरवरी, 2019 के 28वें दिन तक किया जाता है।

[फा.सं.20/06/17/2018 - जीएसटी (पीटी. I)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार